UPLKO10073112016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>विशेष परीक्षण सं0 66/2016</u>

सरकार **बनाम** जागेश्वर मौर्या आदि

अ0सं0 417/2017
धारा–323,504 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–गोसाईंगंज, लखनऊ।

<u>10–01–2024</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगणगण जागेश्वर मौर्या, जूली उर्फ वर्षा, मनीष मौर्या व श्रीमती मंजू देवी व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 26–04–2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010073112016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 66 / 2016

सरकार **बनाम** जागेश्वर मौर्या आदि

अ0सं0 417 / 2017

धारा—323,504 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)10 एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट

थाना—गोसाईंगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण जागेश्वर मौर्या, जूली उर्फ वर्षा, मनीष मौर्या व श्रीमती मंजू देवी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:—

प्रथमः यह कि दिनांक 17.09.2015 समय लगभग 07.30 बजे प्रातः थाना गोसाईंगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत गटरा में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा बिटाना, वादिनी की लड़की सपना व लड़के राकेश कुमार को मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा बिटाना, वादिनी की लड़की सपना व लड़के राकेश कुमार को जातिसूचक भद्दी—भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा बिटाना, वादिनी की लड़की सपना व लड़के राकेश कुमार को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा—3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 10—01—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड—यूपी06085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 03—01—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड—यूपी06085

Digitally signed by DINESH KUMAR MISHRA
Date: 2024.01.10 07:26:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court